

प्रश्न सं. [क. 701]

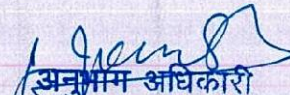
सदन में उत्तर देने का दिनांक : 26/02/2021

श्री विजयपाल सिंह

सचिव 'अ'

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 701)

क्र.	वितरण केन्द्र का नाम	कनेक्शन की क्षमता (एच.पी.)	प्रदाय किये गये पम्प कनेक्शन (नम्बर)		
			वर्ष 18-19 में	वर्ष 19-20 में	वर्ष 20-21 (दिनांक 08.02.2021 से पूर्व)
1	बाबई	3एच.पी.	751	20	0
		5एच.पी.	818	247	190
		6एच.पी.	14	8	8
		7.5एच.पी.	160	78	29
		10एच.पी.	2	7	13
		10एच.पी. से अधिक	0	0	0
		योग	1745	360	240
2	सोहागपुर (श.)	3एच.पी.	37	0	0
		5एच.पी.	80	1	0
		6एच.पी.	0	0	0
		7.5एच.पी.	1	0	0
		10एच.पी.	0	0	0
		10एच.पी. से अधिक	0	0	0
		योग	118	1	0
3	सोहागपुर (ग्र.)	3एच.पी.	71	8	0
		5एच.पी.	727	567	169
		6एच.पी.	11	3	1
		7.5एच.पी.	31	31	13
		10एच.पी.	52	52	10
		10एच.पी. से अधिक	0	0	0
		योग	892	661	193
4	फेसला	3एच.पी.	51	0	19
		5एच.पी.	182	167	48
		6एच.पी.	0	0	0
		7.5एच.पी.	1	0	0
		10एच.पी.	0	0	1
		10एच.पी. से अधिक	0	0	0
		योग	234	167	68
5	होशंगाबाद ग्रामीण	3एच.पी.	52	103	1
		5एच.पी.	504	554	493
		6एच.पी.	10	12	2
		7.5एच.पी.	92	82	49
		10एच.पी.	70	32	4
		10एच.पी. से अधिक	15	6	0
		योग	743	789	549
कुल योग			3732	1978	1050


 अनुमति अधिकारी
 ऊर्जा विभाग, म.प्र. शास.
 भोपाल

भवन निर्माता/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता उपरोक्त भूखण्डों के विक्रय के स्थान पर मकानों या भवनों का निर्माण विक्रय हेतु करते हैं तो भार का पुनर्आकलन उपरोक्त कण्डिका 4.28 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता को प्रयोज्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान समय-समय पर पुनर्आकलित भार पर आधारित पूर्व में भुगतान किये गये प्रभारों को घटा कर, यदि वे लागू हों, इस मद के अन्तर्गत किया जाएगा।

भार के आकलन की उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया, वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या तथा क्षमता, वांछित उच्चदाब/निम्नदाब तन्तुपथ लाइनों की लंबाई निर्धारित करने तथा विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (supply affording charges) अथवा समय-समय पर लागू अन्य प्रयोज्य प्रभारों की वसूली में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से है। तथापि, प्रतिभूति निक्षेप की गणना वैयक्तिक उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करते समय उसके द्वारा घोषित भार एवं परीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित भार के आधार पर की जायेगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास/पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से विकसित कालोनियों को उपरोक्त प्रावधानों में भार संबंधी गणना के प्राक्कलन से छूट प्रदान की जाएगी। ऐसी कालोनियों हेतु भार पर विचार आवेदक द्वारा आवेदित भार के आधार पर किया जाएगा।

- 4.32 भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता से आवासीय कालोनी के लिये विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाएगी।

(डी) कृषि/सिंचाई पंप सेटों को निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply for Agriculture/Irrigation Pump sets)

- 4.33 जहां वितरण प्रसंवाही (distribution mains) का विस्तार और/अथवा वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता का विस्तार आवश्यक न हो वहां निम्नदाब प्रदाय के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन कृषि/सिंचाई पंप सेटों को विद्युत प्रदाय हेतु किया जायेगा।
- 4.34 पंजीकृत सहकारी समिति अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्यताप्राप्त किसानों के समूह को भी कृषि/सिंचाई पंप सेट हेतु एकल बिन्दु पर भी विद्युत प्रदाय की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
- 4.35 परिसर का निरीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि वितरण प्रसंवाही (distribution mains) का विस्तार और/अथवा वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना अपेक्षित है तो शासन या वित्तीय संस्था, जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि से उपलब्ध वित्तीय सहायता से कार्य निष्पादन की संभावना का परीक्षण किया जायेगा। लाईन का विस्तार आवश्यक न होने की दशा में, निरीक्षण से दस दिवस में तथा तन्तुपथ (लाईन) का विस्तार आवश्यक होने की दशा में निरीक्षण से 30 दिनों में उपभोक्ता को यह सूचना दी जायेगी कि अनुज्ञप्तिधारी उपलब्ध अन्य स्रोतों से कार्य का निष्पादन कर सकेगा अथवा उपभोक्ता द्वारा कार्य की लागत का पूर्ण भुगतान करने के उपरान्त कार्य निष्पादन किया जा सकेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा अनुमानित व्यय के भुगतान के बाद ही कार्य किया जाना संभव हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को राशि की

जानकारी से अवगत करायेगा। यदि विद्युत प्रदाय विस्तार कार्य अपेक्षित हो तो ऐसे पम्प सेट(ों) जिसके/जिनके कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता(ओं) द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, के विद्युतीकरण का कार्य उपभोक्ता(ओं) द्वारा निर्धारित राशि जमा करने पर ही प्रारंभ किया जायेगा। संयोजन संबंधी नवीन कार्य 'प्रथम आएँ प्रथम पाएँ' के व्यापक सिद्धांत के आधार पर प्रारंभ किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने से 3 कार्यकारी दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को स्थापना के परीक्षण हेतु दिनांक सूचित करेगा तथा उपभोक्ता(ओं) से परीक्षण-प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करने का आग्रह करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदन एवं परिसर की वायरिंग से संतुष्ट हो तो निरीक्षण दिनांक से 3 दिवस के भीतर संयोजन प्रदान कर दिया जायेगा।

- 4.36 कृषि उपभोक्ता, यदि इच्छुक हो तो वह प्रयोज्य प्रमारों के भुगतान के उपरान्त, अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन से अपने परिसर के अन्दर अपने संयोजन का स्थान परिवर्तित कर सकेगा।

(ई) सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था को निम्नदाब विद्युत प्रदाय (LT Supply to Public Street Lighting)

- 4.37 नवीन अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत प्रदाय के आवेदन निर्धारित प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नगरपालिक निगम या नगरपालिका या म्यूनिसिपल बोर्ड या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग या सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा उत्तरदायी बनाये गये किसी अन्य संगठन {जिसे सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में आगे "स्थानीय निकाय (local body)" कहा गया है} द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4.38 पथ-प्रकाश बलितियों के आवेदन के साथ स्थानीय निकाय का संकल्प एवं जहां पथ-प्रकाश बलितियों की आवश्यकता है, वहां के विद्यमान या नवीन खंभों की संख्या दर्शाते हुये मानचित्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4.39 फिटिंग्स, ब्रेकेट्स तथा विशेष फिटिंग्स भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मापदण्डों या इसके समतुल्य के अनुरूप होंगे तथा विद्यमान विनियमों/नियमों के अन्तर्गत सुरक्षात्मक दूरी पर स्थापित किये जाएंगे। समस्त फिटिंग्स व ब्रेकेट्स सहित, सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की पूर्ण लागत स्थानीय निकाय को वहन करनी होगी। किसी विशेष फिटिंग्स को स्थापित किये जाने की स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा ही इसकी व्यवस्था की जाएगी।
- 4.40 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थल निरीक्षण के 15 दिवस के भीतर शहरी क्षेत्रों में तथा 30 दिवस के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में, विस्तार कार्य की लागत की लिखित सूचना स्थानीय निकाय को दी जाएगी। स्थानीय निकाय द्वारा वांछित राशि का भुगतान एवं अनुबन्ध निष्पादित करने के बाद ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।